

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भारती की
जमाबन्दी सम्वत् २०७५ से २०७६ के खाता संख्या ६१२ व ७१५
में चररभुज ५/० रामा के बजाय चररा वि रामा

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-

प्रार्थी
चररभुज ५/० रामा
(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम भारती के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् २०७५ से २०७६ के
खाता संख्या ६१२ व ७१५ में प्रार्थी का नाम चररभुज वि रामा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
पटवारी व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम चररा वि रामा है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

चररभुज ५/० रामा
भू.अ.नि. (.....)
12.3.22

12/03/2022
पटवारी प्रमोद चररभुज
पटवारी व. न. भयनिपारा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रमोद चररभुज पिता वी. वी. वी.

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी प्रमोद चररभुज व भू०अ०नि० प्रमोद चररभुज एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम भारती की जमाबन्दी सम्वत् २०७५ से २०७६ की खाता संख्या ६१२ व ७१५ में प्रार्थी का
नाम चररभुज के बजाय चररा किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शाहपुरा (भीलवाड़ा) दार

आदेश

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम भारती जमाबन्दी सम्वत् २०७५-७६ खाता
संख्या ६१२ व ७१५ में दर्ज प्रार्थी का नाम चररभुज के स्थान पर चररा संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।

१४
उपखण्ड अधिकारी
प्रमोद चररभुज पिता
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)